न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 13.07.2024

राजस्व वाद संख्या : 25 / 2024

निर्णय दिनांक : 13.07.2024

जीसीएमएस संख्या– 2024 / 42 दायर दिनांक – 07.02.2024

जसकरण पुत्र स्व. जगनाराम जाति माली निवासी वार्ड नंबर 09 सुजानगढ़ जिला चूरू

..............वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

...............प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–

1. श्री घनश्याम सैनी एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा संख्या 130 तादादी 2.6681 हैक्टेयर व खसरा संख्या 132 तादादी 2.7819 हैक्टेयर वाके रोही मींगना तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादी के पिता जगनाराम के स्वर्गवास के पश्चात् वादगत खेतों का विरासतन इन्तकाल दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से वादी का बोलता नाम जैसराज पुत्र जगनाराम के नाम 1 / 12 हिस्सा की खातेदारी अंकित कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम जसकरण पुत्र जगनाराम है जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

वादगत खेत में वादी का नाम जैसराज पुत्र जगनाराम हिस्सा 1 / 12 जाति माली सा. सुजानगढ़ खातेदार दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम जसकरण पुत्र स्व. जगनाराम

सदस्य
लोक अदालत

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

जाति माली है। जैसराज व जसकरण दोनों एक ही व्यक्ति हैं अलग-अलग नहीं है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जैसराज पुत्र जगनाराम के स्थान पर जसकरण पुत्र स्व. जगनाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रतिलिपि, बैंक पास बुक की फोटोप्रति, बिजली के बिल की फोटोप्रति आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम जसकरण अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 130 तादादी 2.6681 हैक्टेयर व खसरा संख्या 132 तादादी 2.7819 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 5.4500 हैक्टेयर रोही ग्राम मींगना तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम जैसराज पुत्र जगनाराम जाति माली निवासी सुजानगढ़ खातेदार के स्थान पर जसकरण पुत्र स्व. जगनाराम जाति माली निवासी सुजानगढ़ खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़